भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Indian Council of Medical Research
Department of Health Research, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

फ़ाइल संख्या ई 16/68/2022-प्रशा. दिनांक : /07/2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिनांक **07.07.2026 से 18.08.2026** की अवधि के दौरान लंबित पेंशन शिकायतों/दावों/मुद्दों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु **विशेष अभियान 3.0** के कार्यान्वयन- के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 07.07.2026 से 18.08.2026 की अवधि के दौरान लंबे समय से लंबित पेंशन शिकायतों/दावों/मुद्दों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु विशेष अभियान 3.0 के कार्यान्वयन के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक जुलाई 2026 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ. सं. 14/08/2025-पी एंड पीडब्ल्यू (सीपीईएन)-10838 की प्रति प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, यह अभियान दो चरणों में संचालित किया जाएगा, अर्थात्— प्रारंभिक चरण (07.07.2026 से 22.07.2026), स्वप्रेरणा से निस्तारण किए जाने योग्य मामलों सहित लंबे समय से लंबित पेंशन शिकायतों/दावों/मुद्दों की पहचान की जाएगी; तथा क्रियान्वयन चरण (22.07.2026 से 18.08.2026), इन शिकायतों/दावों/मुद्दों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

3. इस संबंध में, पेंशन प्रकोष्ठ, परिषद मुख्यालय, परिषद मुख्यालय के सभी प्रभाग-प्रमुखों तथा परिषद के सभी संस्थानों/केंद्रों के निदेशकों/प्रमुखों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सभी पात्र मामलों की पहचान करें।

4. इस प्रकार पहचाने गए सभी मामलों के विवरण निर्धारित प्रपत्र (संलग्न अनुलग्नक) में निर्धारित समय-सीमा के भीतर समेकित करने हेतु एवं कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) को अग्रेषित किए जाने हेतु ई-मेल के माध्यम से प्रशासन अनुभाग, परिषद मुख्यालय (admn.hq@icmr.gov.in) को उपलब्ध करवाए जाएं।

-हस्त-
(जयबीर सिंह)
सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

प्रेषण : 1. परिषद के सभी संस्थानों/केंद्रों के निदेशक/निदेशक-प्रभारी
2. पेंशन प्रकोष्ठ, परिषद मुख्यालय।

प्रतिलिपि :

1. महानिदेशक/अपर महानिदेशक (दोनों) /वरि. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/वरि. वित्त सलाहकार के निजी सचिव, परिषद मुख्यालय नई दिल्ली।
2. सभी प्रभागों के प्रमुख।
3. उपमहानिदेशक (प्रशा.)/ सहायक महानिदेशक (दोनों)/प्रशासन अधिकारी (प्रशा.), परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली।
4. डॉ. एम. एस. चालगा, वैज्ञानिक-ई, परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।